बिहार सरकार
न्यायालय आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-1065/आ० नि० कोo दिनांक- 25.09.2019

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

अपर महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
बिहार पुलिस निर्माण निगम, बिहार, पटना।

अध्यक्ष,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,
आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन, बिहार, पटना।

अध्यक्ष,
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार, पटना।

अध्यक्ष,
बिहार राज्य पुल निर्माण लि0, बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत विकास निगम, बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0, बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,
पंचायती राज वित्त निगम, बिहार, पटना।

विषय :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 का राज्यान्तर्गत सम्यक अनुपालन हेतु अधिनियम की विविध धाराओं अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

यह पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के प्रावधानों का राज्यान्तर्गत सम्यक अनुपालन से सम्बन्धित है। इसमें अधिनियम के विविध धाराओं एवं इसमें वर्णित प्रावधानों का विवरण उपलब्ध कराते हुए इसके अनुपालन हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं।

दिव्यांगजनों के अधिकारों के सम्बन्ध में वर्त्तमान में प्रवृत्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (आगे से अधिनियम,2016) की विविध धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को संगत दायित्व सौंपे गए हैं। अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकरों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामले में समुचित प्राधिकारयों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

अधिनियम,2016 दिव्यांगजनों के अधिकारों की संरक्षा, उनके समाज में पूर्ण प्रभावी भागीदारी, समता/अविभेद तथा उनकी क्षमता के उपयोग हेतु समुचित वातावरण प्रदान करने के मूल उद्देश्यों को परिपूरित करता है। विदित हो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-2 (ZC-2) अन्तर्गत निम्न 21 प्रकार की विनिर्दिष्ट दिव्यांगता यथा: चलन्त संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशिया दुर्विकास, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, बाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रूग्णता, क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एवं सिकल सेल रोग को शामिल किया गया है। अधिनियम की निम्न धाराओं के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के सुविधार्थ बाधामुक्त वातावरण के सम्बन्ध में अवसंरचना एवं सुगम्य परिसर के निर्माण, परिवहन साधनों तक पहुँच, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक तक पहुँच, उपभोक्ता माल एवं सम्बन्धित मानव संसाधन विकास से जुड़े प्रावधान उल्लिखित है। इनका विवरण निम्नवत है :-

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 से सम्बन्धित धाराऐं		
धारा-39 (जागरूकता अभियान)		(1) समुचित सरकार, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त से परामर्श कर के इस अधिनियम के अधीन दिव्यांगजनों को दिए अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियानों और सुग्राहयता कार्यक्रमों का संचालन प्रोत्साहन उसमें सहायता या संवर्धन करेगी। (2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे कार्यक्रमों और अतिभयानों मे निम्नलिखित भी किया जाएगा– (क) समावेशन सहनशीलता समानुभूति के मूल्यों का संवर्धन और विविधता के लिए आदा; (ख) दिव्यांगजनों के कौशल गुणों और योग्यताओं की अग्रिम पहचान और कार्यबल श्रम बाजार में उनका योगदान और वृत्तिक फीस; (ग) पारिवारिक जीवन नातेदारियों बालकों के वहन और पालन–पोषण से संबंधित सभी विषयों पर दिव्यांगजनों द्वारा किए विनिश्चयों के लिए आदर का पोषण; (घ) दिव्यांगता की मानवीय दशा पर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और प्रवृति प्रशिक्षण स्तर तथा दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसंस्करण करना और सुग्राही बनाना; (ड) दिव्यांगता की दशाओं और नियोजकों प्रशासकों और सहकर्मियों के प्रति दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसंस्करण और सुग्राहयता प्रदान करना; (च) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालयों महाविद्यालयीं और स्कूलों के पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों के अधिकार सम्मिलित है।
धारा-40 (पहुँच)		केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से समुचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान को गई सुविधाओं सहित भौतिक वातावरण परिवहन जानकारी और संसूचना के लिए पहुंच के मानको को अधिकथित करते हुए दिव्यांगजनों के लिए विनियम विचारित करेगा।
धारा-41 (परिवहन तक पहुँच)		(1) समुतिचत सरकार निम्नलिखित का उपबंध करनें के जिए उपयुक्त उपाय करेगी– (क) बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर दिव्यांगजनों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो पार्किंग स्थलों प्रसाधनों टिकट खिडकियों और टिकट मशीनों से संवंधित पहुंच मानकों के अनुरूप हों; (ख) परिवहन के सभी ढंगों तक पहुंच प्रदान करना जो परिवहन के पश्च फिटिंग पुराने ढंगों सहित डिजाइन मानकों के अनुरूप हों जहां कभी वे दिव्यांगजनों के लिए प्रौद्योगिक रूप से संभाव्य और सुरक्षित हों आर्थिक रूप में व्यवहार्य हो और डिजाइन में मुख्य संरचना के परिवर्तन में भार डाले बिना हों; (ग) दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक गतिशीलता के समाधान के लिए पहुंच योग्य सडकें। (2) समुचित सरकार निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए वहन करने योग्य लागत पर दिव्यांगजनों की वैयक्तिक गतिशीलता के संवर्धन के लिए स्कीमों कार्यक्रमों को विकसित करेंगी– (क) प्रोत्साहन और रियायतें; (ख) वाहनों की पश्चफिटिंग; और (ग) वैयक्तिगतिशीलता सहायता।
धारा-42 (सूचना और संचार प्रौद्योगिक तक पहुँच)		समुचित सरकार यहसुनिश्चित करने के लिए उपाय करेंगी कि– (क) श्रव्य प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में उपलब्ध सभी अंतर्वस्तुएं पहुंच योग्य फार्मेट में हैं; (ख) श्रव्य वर्णन संकेंत भाषा निर्वचन और क्लोज्ड केपषर्निंग, उपलब्ध कराके दिव्यांगजन की इलैक्ट्रानिक मीडिया तक पहुंच हैं। (ग) इलैक्ट्रानिक माल और उपस्कर जी प्रतिदिन उपयोग के लिए सर्वव्यापी डिजाइन में उपलब्ध कराए जाने के लिए आशायित है।

धारा-43 (उपभोक्ता माल)	-	समुचित सरकार दिव्यांगजनों के साधारण उपयोग के लिए सर्वव्यापी रूप से डिजाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों और उपसाधनों के विकास उत्पादन और वितरण के संवर्धन के लिए उपाय करेगी।
धारा-44 (पहुँच सन्नियमों का आज्ञापक रूप से अनुपालन)	-	किसी स्थापन को किसी संरचना के निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि भवन योजना में धारा 40 अधीन केन्द्रीय द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। (2) किसी स्थापन को तब तक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा या भवन का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब त कवह केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन नहीं करता हैं।
धारा-45 (विद्यमान अवसंरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय-सीमा तथा उस प्रयोजन के लिए कार्रवाई)	-	ऐसे विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार सभी विद्यमान सार्वजनिक भवन सुगम्य बनाए जाएंगे; (2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी उनके सभी भवनों और स्थानों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिविल जिल अस्पताल विद्यालय रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जैसी सभी तक पहुंच प्रदान करने के लिए पूर्विकता पर आधारित कार्ययोजना बनाऐंगे और प्रकाशित करेंगे।
धारा-46 (सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुँच के लिए समय-सीमा)	-	सेवा प्रदाता चाहे सरकारी हो या प्राइवेट केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 40 के अधीन पहुंच पर बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे नियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर सेवाएं प्रदान करेगा; परंतु केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से उक्त नियमों के अनुसार कतिपय प्रवर्ग की संवाएं प्रदान करने के लिए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी।
धारा-47 (मानव संसाधन विकास)	-	(1) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद् के किसी कृत्य और शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मानव संसाधन विकास करने के लिए प्रयास करेगी और उस ध्येय के लिए निम्नलिखित करेगी– (क) पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस पदधारियों, न्यायधीशों, यकीलों के प्रशिक्षण के लिए सभी पाठ्यक्रमों में दिव्यांगता के अधिकारों पर आज्ञापाक प्रशिक्षण; (ख) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, चिकित्सकों, नर्सो अर्धचिकित्सा कार्मिकों, सामाजिक कल्याण अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, इंजीनियरों, वास्तुविदों, अन्य वृत्तिकों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए दिव्यांगता का घटक के रूप में समावेश कराना; (ग) स्वावलम्बी जीवन में प्रशिक्षण और परिवारों के लिए सामुदायिक संबंधों समुदाय के सदस्यों और अन्य प्रणधारियों और देख–रेख करने औरा सहायता करने पर देख–रेख प्रदाता सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ करना; (घ) पारस्परिक योगदान और आदर पर समुदाय संबंधों का निर्माण करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र प्रशिक्षण सुनिश्चित करना; (ड) क्रीडा खेलकूद रोमांचकारी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ क्रीडा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना; (च) कोई अन्य क्षमता विकास के उपाय जो आवश्यक हों। (2) सभी विश्वविद्यालय ऐसे अध्ययनों के लिए अध्ययन केन्द्रों की स्थापना सहित दिव्यांगता संबंधी अध्ययनो में शिक्षण और अनुसंधान का संवर्धन करेंगे। (3) उपधारा (1) में कथित बाध्यता को पूरा करने के लिए समुचित सरकार प्रत्येक पांच वर्ष में आवश्यकता आधारित विश्लेषण करेंगी और भर्ती, प्रवेश सुग्राह्यता अभिसंस्करण और इस अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए योजनाए बनाएगी।
धारा-48 (सामाजिक लेखा परीक्षा)	-	समुचित सरकार दिव्यांगजनों वाली सभी साधारण स्कीमों और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षायह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि स्कीम और कार्यक्रम दिव्यांगजनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते है और दिव्यांगजनों की अपेक्षाओं और चिंताओं के लिए आवश्यक है।

"अधिनियम,2016 इन्टरनेट माध्यम एवं इस कार्यालय के बेवसाइट पर सरलता से उपलब्ध है"।

स्पष्ट है कि ये उक्त प्रावधान अधिनियम के मूल उद्देश्यों के संगत प्रावधान है, जो सुगम्य भारत अभियान/दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण के निर्माण के क्रम में अवसंरचना सुगम्य परिसर के निर्माण, परिवहन साधनों तक पहुँच, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक तक पहुँच, उपभोक्ता माल एवं सम्बन्धित मानव संसाधन विकास हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं किये जाने तथा उनके अनुप्रयोग करने से जुड़े हैं एवं इनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

उक्त वर्णित प्रावधानों का अनुपालन संबंधित तंत्र व इसकी विविध स्तरीय संचालन इकाईयों अर्थात पदाधिकारी व कर्मचारियों के कार्य व्यवहार को प्रावधान अन्तर्गत वर्णित निदेश अनुरूप ढाल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रावधानों की प्रकृति तंत्र के कार्य व्यवहार में यथा आवश्यक अपेक्षित परिवर्तन तथा तंत्र के प्रत्येक स्तर पर दिव्यांगजनों के पहुँच हेतु अनुकूल बाधामुक्त वातावरण के निर्माण से सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की माँग करती है। उल्लिखित है कि इन धाराओं अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक के दौरान चर्चा की गई बिन्दुओं एवं इस सम्बन्ध में निर्गत बैठक के कार्यवाही प्रतिवेदन का भी संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उल्लेख पूर्वक कहना है कि अधिनियम,2016 के संगत राज्य सरकार द्वारा भी दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 अधिनियम के अनुपालनार्थ जारी की जा चुकी है। उक्त धाराओं के अन्तर्गत वर्णित धाराओं के उल्लंघन संबंधी विविध शिकायतें इस न्यायालय को प्राप्त हो रहे हैं।

उक्तानुसार अनुरोध है कि अपने प्राधिकार स्थित समस्त अधीनस्थ इकाईयों को अधिनियम,2016 के उक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु संवेदित व जागरूक करें तथा इन्हें कार्य व्यवहार में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करें। इसे कर्मियों के कार्य मूल्यांकन के अंग के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही यह भी अपेक्षित है कि उक्त निदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक भौतिक संसाधनों की व्यवस्था, नियोजन हेतु पर्याप्त अवसरों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं उसका निमित्त हेतु अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जाय। अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई जिलावार प्रतिवेदन भी इस न्यायालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। समर्पित जिलावार प्रतिवेदन के आधार पर राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा जिलावार आयोजित समीक्षा बैठक-सह-चलन्त न्यायालय के दौरान उक्त समर्पित प्रतिवेदनों के आधार पर यथाआवश्यक पूरक कार्रवाई की जा सकेगी।

उक्त विषय में यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रत्येक विभाग/निदेशालय स्तर पर समुचित पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए इसकी सूचना (नाम/पदनाम व सम्पर्क विवरण सहित) इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें। ये नोडल पदाधिकारी अधिनियम,2016 के सम्बन्धित क्षेत्राधीन अनुपालन स्थिति के विषय में इस कार्यालय स्तर से सम्पर्क करने तथा इससे जुड़े आवश्यक प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

विश्वासभाजन,

25.09.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-1065/आ०नि०को० दिनांक- 25.09.19

प्रतिलिपि:-उप मुख्य आयुक्त, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

25.09.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-1065/आ०नि०को० दिनांक- 25.09.19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25.09.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-1065/आ०नि०को० दिनांक- 25.09.19

प्रतिलिपि:-बेवसाइट प्रभारी, कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को सूचित किया जाता है कि उक्त पत्र को कार्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करें ताकि दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो सके।

25.09.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।